संख्या-13/2022/डी0एफ0ए0/278130/002-38-6002-099-1-2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक-12 जुलाई, 2022

विषय:- बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-83 (अनुसूचित जाति मद) में बजट आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्रांक-469/कार्य0/एवीआरवाई/बजट मांग/2022, दि0-30.05.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना (शत-प्रतिशत राज्य पोषित) अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2022-23 में अनुदान सं0-83 (अनुसूचित जाति मद) में प्राविधानित धनराशि रू0-10.00 करोड के सापेक्ष कुल भौतिक लक्ष्य 50 प्रतिशत ऋण स्वीकृति के अनुरूप अनुदान अन्तर्गत रू0-5.00 करोड (रूपये पांच करोड मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्निलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1- आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

2- प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3- धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण व्यय के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय में योजना विषयक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनरशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाएगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दि0-07 जून, 2022 एवं अन्य-संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये-5,00,00,000 (रूपये पांच करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083 लेखा शीर्षक 2515007890500 अम्बेडकर रोजगार योजना मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरी राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।